तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	रेफरेन्स/एल.आर./2004/4320/जोधपुर **सरकार बनाम जालगिरी**	
	एकलपीठ **श्री हरिशंकर गोयल सदस्य** **उपस्थित :–** श्रीमती पूनम माथुर, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, **दिनांक : 18–12–2019** **निर्णय** 1– यह रेफरेन्स न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू.रू.), जोधपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 29–6–2004 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, भोपालगढ जिला जोधपुर ने निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या–2036, रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा ग्राम खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ माफी मन्दिर श्री महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज थी। जो मन्दिर होने के कारण शाश्वत नाबालिग है तथा पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति को इसे हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है, परन्तु अप्रार्थीगण ने इसका अवैध हस्तान्तरण कर दिया है तथा हस्तान्तरण पर नामान्तरकरण संख्या–670 पारित कर दिया गया है, जो खारिज योग्य है। उक्त भूमि वास्तव में माफी मन्दिर श्री महादेवजी की थी। मन्दिर मूर्ति माफी को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2004/4320/जोधपुर** **सरकार बनाम जालगिरी**	
	व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता। अप्रार्थी किस प्रकार खातेदार बने इसका कोई सक्षम आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिना न्यायालय अथवा सक्षम आदेश के उक्त खातेदारी इंद्राज प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य हैं। अतः अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त करते हुए विवादित माफी मन्दिर श्री महादेवजी के खाते में दर्ज किया जावे। 3– रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया गया, जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011–30 वाके ग्राम खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर की आराजी खसरा संख्या–2036 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा है जो डोली बनाम श्री महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी मोतीधर चेला अमेदधर, कौम गुसाई साकिन देह डोलीदार दर्ज है और कॉलम नम्बर–4 में खुदकाश्त अंकित है। अतः विवादित भूमि मंदिर की खुदकाश्त की होने के कारण उस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी का नाम गलत अंकन होने के कारण रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण का नाम कलमजन कर मंदिर मूर्ति का नाम दर्ज किया जाये। 5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2004/4320/जोधपुर** **सरकार बनाम जालगिरी**	
	गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 6– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड में खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011–30 वाके ग्राम खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर की आराजी खसरा संख्या–2036 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा है जिस पर खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या–3 नाम भोक्ता में **''डोली बनाम श्री महादेवजी''** वाके देह बएतमाम पुजारी मोतीधर चेला अमेदधर कौम गुसाई साकिन देह डोलीदार दर्ज है तथा कॉलम नम्बर–4 उपभोक्ता का नाम **'खुदकाश्त'** अंकित है। उक्त भूमि को अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या–670 द्वारा अंकित कर दी गई है तथा जमाबन्दी संवत 2056–59 में अप्रार्थी के नाम अंकन कर दिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की द्वितीय अनुसूची की मद संख्या के अनुसार उक्त भूमि वास्तव में माफी मन्दिर श्री महादेवजी की थी जो कि खुदकाश्त भूमि थी। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता। अप्रार्थी किस प्रकार खातेदार बने इसका कोई सक्षम आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मन्दिर माफी की भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा–9 एवं 10 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46(1)(a) तहत मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसके अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायालयों का है। यदि किसी भी कारण से भूमि माफी मन्दिर श्री महादेवजी के स्थान पर किसी पुजारी अथवा अन्य व्यक्ति की खातेदारी में आ भी गई है तो वे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2004/4320/जोधपुर</u>** **सरकार बनाम जालगिरी**	
	खातेदारी अधिकार प्रभाव शून्य है। माफी मन्दिर श्री बालाजी शाश्वत अवयस्क है और स्वयं काश्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से काश्त कराई जा सकती है। पुजारी को कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। इस प्रकरण में पुजारी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये व भूमि का बेचान अप्रार्थी को किया गया है जो **''प्रारम्भतः शून्य व निष्प्रभावी''** है। 8– RRD 2015 Page 556 पर माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच ने निर्णय दिया है कि मंदिर माफी की भूमि सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी खातेदारी में नहीं दी जा सकती है। चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और मंदिर माफी की भूमि को बेचान या अन्य किसी आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में भी विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री महादेवजी के नाम अंकित थी जिसे बाद में अप्रार्थी की खतेदारी में दे दिया गया जो कि अवैध व प्रभाव शून्य है। 9– राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि मंदिर मूर्ति की है जिस पर खुदकाश्त अंकित है। मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमि पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते हैं, क्योंकि यह अवधारणा है कि खुदकाश्त में दर्ज भूमि पर मंदिर मूर्ति किसी श्रमिक अथवा अन्य व्यक्ति के द्वारा काश्त करवा सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति स्वयं काश्त करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में न्यायालयों का दायित्व है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–46(1) के तहत अव्यस्क, विधवा, परित्यकता जैसों के अधिकारों की रक्षा करें। चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है अतः उनके अधिकारों की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2004/4320/जोधपुर** **सरकार बनाम जालगिरी**	
	रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका का ही है। 10– अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या–2036, रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा ग्राम खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ मन्दिर श्री महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते है। अप्रार्थी के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण निरस्त किये जाकर राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण का नाम कलमजन किया जाकर इस पर मन्दिर श्री महादेवजी की खातेदारी अंकित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2004/4320/जोधपुर** **सरकार बनाम जालगिरी**	